न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00553

सुनील कुमार आत्मज श्री श्याम राव आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद में पुराने खसरा नम्बर 253/1 की रकबा 33 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वर्ष 1983 में केचमेंट कार्य किया गया जिसमें 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि मेनड्रेन में आवाप्त की गई जिसमें से 15 बिस्वा भूमि वादी को दे दी गई शेष 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि वादी को नहीं दी । उक्त अवाप्त की गई भूमि का कोई मुआवजा वादी को अदा नहीं किया गया बल्कि उक्त अवाप्त की गयी भूमि के बदले सिवाय चक की खसरा नम्बर 540 की भूमि में से 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि दिये जाने के आदेश अतिरिक्त जिलाधीश सीएडी चम्बल कोटा द्वारा जारी किये गये । खसरा नम्बर 540 की 03 बीघा 06 बिस्वा पर कब्जा तो दे दिया गया परन्तु उक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं की गई और सिवायचक दर्ज रही जिस पर वादी का आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है । खसरा नम्बर 119 की 0.63 हैक्टर सिवायचक दर्ज होने व वादी की खातेदारी में दर्ज न होने के कारण प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जाती रही है । वादी का उक्त भूमि पिछले 29 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा

है। वादी खसरा नम्बरर 119 की 0.63 हैक्टर भूमि को मेन ड्रेन में गयी के बदले प्राप्त कर खाते में दर्ज कराने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 119 की रकबा 0.63 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक खाते से भूमि हटायी जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पिछले 29 वर्षो से लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.08.2018 को कैम्प की फाईलों के निर्णय की जानकारी करने पर हुई और उसी दिन नकल का आवेदन प्रस्तुत कर दिया । दिनांक 23.08.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद में पुरोन खसरा नम्बर 253/1 की 33 बीघा भूमि चली आ रही है । केचमेंट विभाग के द्वारा सन् 1983 में केचमेंट का कार्य किया गया जिसमें 04 बीघा 04 बिस्वा आराजी ड्रेन में अवाप्त की गई । 15 बिस्वा आराजी अपीलान्ट को दी गई शेष 03 बीघा 08 बिस्वा आराजी को नहीं दी गई उसका कोई मुआवजा भी अदा नहीं किया गया । इसके बदले खसरा नम्बर 540 की 03 बीघा 06 बिस्वा आराजी दिये जाने के आदेश अतिरिक्त जिलाधीश सीएडी चम्बल के द्वारा किया गया । इस आराजी पर कब्जा अपीलान्ट को दे दिया गया परन्तु खातेदारी नहीं दी गई । भू–प्रबन्ध के दौरान आराजी के नये खसरा नम्बर 119 रकबा 0.63 हैक्टर कायम किये गये । इसके बावजूद 91 एलआर एक्ट के तहत अपीलान्ट को नोटिस दिये जा रहे हैं । 29 वर्षो से लगातार अपीलान्ट का इस पर कब्जा है । रिकॉर्ड में यह आराजी सिवायचक चली आ रही है । अपीलान्ट इस पर खातेदार

घोषित होने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलान्ट का दावा मियाद बाहर है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में सरकार की ओर से दिनांक 17.06.2016 को जवाबदावा पेश किया गया है । पत्रावली तनकीयात कायमी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा